

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सी एम पी नंबर 13/2020

मेसर्स वेद कंस्ट्रक्शन अपने प्रोपराइटर प्रकाश कुमार, उम्र 42 साल, श्री राम प्रसाद साहू के पुत्र, साकीन आनंदपुरी, डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग के माध्यम से, याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, डाकघर और थाना डोरंडा, रांची के माध्यम से
2. अभियंता प्रमुख, रांची, जल संसाधन विभाग, झारखंड, डाकघर और थाना डोरंडा, रांची
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड, डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग
4. अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बांध सर्कल, तेनुघाट, डाकघर और थाना तेनुघाट, जिला बोकारो
5. अधिशासी अभियंता, कोनार नहर प्रभाग, डुमरी, डाक एवं थाना डुमरी, जिला गिरिडीहाउत्तरदातागण

कोरम:माननीय न्यायाधीश श्री बी बी मंगलमूर्ति

याचिकाकर्ता के लिए:श्री रामावतार शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:

03/06.03.2020 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

यह निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से वकील उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि क्रिश्चियन चंद्र मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में 09.12.2019 से 17.12.2019 के बीच उनका

उपचार चल रहा था और इस कारण से, रिट आवेदन को प्रचालित नहीं करने के वजह से खारिज किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि इसे अपनी मूल फ़ाइल और संख्या में बहाल किया जा सकता है अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

उपरोक्त सबमिशन के मद्देनजर, WP (C) No. 6418/2009 को इसकी मूल फ़ाइल और संख्या में बहाल किया गया है।

इस प्रकार, यह सिविल विविध याचिका की अनुमति दी जाती है और इसका निपटान किया जाता है।

(बी. बी. मंगलमूर्ति, न्याया.)

अनीत